"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 380] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई 2014 — आषाढ़ 31, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्रमांक 6436/डी. 115/21-अ/प्रारू./छ.ग./14. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23-08-2013 को राज्यपाल एवं दिनांक 10-07-2014 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 10 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 2 के खण्ड (ञञ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(ञञ) "राज्य निर्वाचन आयोग" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-यट के अंतर्गत सहकारी सोसाइटियों के सभी निर्वाचनों के संचालन तथा निर्वाचक नामावली तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी अथवा निकाय होगा."

धारा 49 की उप-धारा (8) का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 49 की उप-धारा (8) परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"परंतु यह कि रजिस्ट्रार किसी अधिकारी अथवा कोई व्यक्ति जिसे, रजिस्ट्रार की राय में किसी सहकारी बैंक या सहकारी सोसाइटी, यथा स्थिति, के प्रबंधन का अनुभव हो, को इस उपधारा के अधीन उसमें निहित बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा तथा ऐसा प्राधिकृत अधिकारी अथवा व्यक्ति, ऐसे प्राधिकृत किये जाने की तारीख से रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए अथवा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कराए जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा."

धारा 50-ख की उप-धारा (1) का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 50-ख की उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(1) राज्य निर्वाचन आयोग सहकारी सोसाइटी के सभी निर्वाचनों का संचालन करेगा तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए निर्वाचक नामवली तैयार करने का अधीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करेगा."

धारा 50-ख की उप-धारा (2) का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 50-ख की उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(2) राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार के परामर्श से अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को ऐसी संख्या में नियुक्त करेगा जैसा कि आयोग की राय में ऐसी सहकारी सोसाइटियों के संबंध में निर्वाचन के संचालन के लिए आवश्यक हो."

6. मूल अधिनियम की धारा 50-ख की उप-धारा (7) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- **धारा 50-ख की उप-धारा (7) का संशोधन.**

"(7) आयोग को निर्वाचन में सहयोग एवं सहायता के लिए अन्य अधिकारियों की सेवाओं की अध्यपेक्षा करने की शक्तियां होंगी तथा ऐसे अध्यपेक्षित अधिकारी निर्वाचन के दौरान संपूर्ण रूप से आयोग के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे."

7. मूल अधिनियम की धारा 50-ख की उप-धारा (9) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- **धारा 50-ख की उप-धारा (9) का संशोधन.**

"(9) किसी सोसाइटी के बोर्ड के निर्वाचन के संचालन करने में उपगत समस्त व्यय, राज्य सरकार द्वारा अग्रिम रूप में आयोग को भुगतान किये जायेंगे तथा उसकी वसूली उस सोसाइटी से, राज्य सरकार द्वारा विहित अनुसार की जायेगी."

8. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्र. 1 सन् 2013) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है. **निरसन.**

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2014

क्रमांक 6436/डी. 115/21-अ/प्रारू./छ. ग./14.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 10 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 10 of 2014)

CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2013

An Act further to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-forth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement. 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2013.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its Publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2. 2. For clause (jj) of Section 2 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely:-

"(jj) "State Election Commission" means the State Election Commission referred to in Article 243K of the Constitution of India which shall be the authority or body for the purpose of superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for and the conduct of, all elections to a co-operative society, under the Article 243ZK of the Constitution of India."

Amendment of sub-section (8) of Section 49. 3. For Proviso of sub-section (8) of Section 49 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"Provided that the Registrar may authorize any officer, or a person who in the opinion of the Registrar has experience in managing a Co-operative Bank or a Co-operative Society, as the case may be, to exercise the powers of the Board vested in him under this sub-section; and the officer or the person so authorized shall exercise such power from the date of such authorization for a period specified by the Registrar or till the elections are held by the State Election Commission, whichever is earlier."

Amendment of sub-section (1) of Section 50-B. 4. For sub-section (1) of Section 50-B of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"(1) The State Election Commission shall conduct all elections of co-operative society and exercise the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls subject to the provisions of this Act."

Amendment of sub-section (2) of Section 50-B. 5. For sub-section (2) of Section 50-B of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"(2) The State Election Commission shall in consultation with the State Government appoint such numbers of officers and other staff as may be required, in the opinion of the Commission for conducting election in respect of co-operative societies."

6. For sub-section (7) of Section 50-B of the Principal Act, the following shall be substitued, namely :- **Amendment of sub-section (7) of Section 50-B.**

"(7) The Commission shall have the powers to requisition the services of other officers, to aid and assist in the election and such requisitioned officers shall be under the overall supervision and control of the Commission during the election."

7. For sub-section (9) of Section 50-B of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :- **Amendment of sub-section (9) of Section 50B.**

"(9) All expenses incurred in conducting elections of the board of any society shall be paid to the commission, in advance, by the State Government and the same shall be recovered from such society by the State Government in the manner as may be prescribed by the State Government.

8. The Chhattisgarh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2013 (No. 1 of 2013) is hereby repealed. **Repeal.**

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.